

प्रपत्र-3

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर
वन संरक्षक/व.म.अ. का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

1.	परियोजना का नाम		"ग्राम बिरनासिल्ली सी.आर.पी.एफ. कैम्प के पास बालका नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य हेतु"		
2.	आवेदक /आवेदक विभाग का नाम		कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायपुर, छत्तीसगढ़।		
3.	गैर वानिकी कार्य जिस हेतु वनभूमि की मांग		"ग्राम बिरनासिल्ली सी.आर.पी.एफ. कैम्प के पास बालका नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य हेतु"		
4.	आवेदित क्षेत्र की स्थिति	जिला	वनमंडल	परियोजना स्थल	
		धमतरी जिला	उदंती-सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद	विकासखण्ड-नगरी ग्राम - बिरनासिल्ली कक्ष क्रमांक - 351,353	
5.	वनभूमि का विस्तृत विवरण :-				
वनभूमि का प्रकार	परिक्षेत्र का नाम	वनखंड का नाम	वन कक्ष क्रमांक	पहुँच मार्ग की कुल लम्बाई 647.00 मी.x औसत चौड़ाई 11.50 मी.= 0.744 हे.	क्षेत्रफल (हे.)
आरक्षित वन	सीतानदी	बांसबरोली	351,353	पुल की लम्बाई 100.00 मी. x चौड़ाई 8.40 मी. = 0.084 हे. कुल वन क्षेत्र = 0.828 हे.	0.828
6.	आवेदित क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति प्रकार		आवेदित क्षेत्र वन की साईट क्वालिटी - III प्रकार - मिश्रित घनत्व - .6 है। ग्राम बिरनासिल्ली सी.आर.पी.एफ. कैम्प के पास बालका नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य किया जाना है।		
7.	आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण		आवेदित क्षेत्र में उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य में वृक्ष विदोहन नहीं किया जाना है।		
8.	आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति		आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति सामान्य है।		
9.	आवेदित क्षेत्र की (विशेषकर खनिज प्रकरणों में) मुख्य मार्ग से (पी.डब्लू.डी. /वन मार्ग आदि) से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें।)		आवश्यकता नहीं है।		

10.	क्या आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण, बायोस्फेयर रिजर्व, प्राकृतिक झील/वाटर, बाड़ी, आदिवासी सैटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक) की सीमा के 10 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत है अथवा नहीं ? यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदित करें।	हाँ! आवेदित क्षेत्र उदंती-सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद कोर जोन-02 (सीतानदी, अरसीकन्हार एवं रिसगांव अभ्यारण्य क्षेत्र) का भाग है, जिसमें सीतानदी अभ्यारण के आरक्षित वन कक्ष क्र. 351 एवं 353 कुल रकबा 0.828 हेक्ट. में बालका नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य किया जाना है।
11.	आवेदित वनक्षेत्र के अलावा अन्य गैर वनक्षेत्र विकल्प के रूप, में प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं (विशेष कर खनिज उत्खनन प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में गैर वनक्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष/भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या बतावे एवं उसे मानचित्र पर भी दर्शाया जावे।)	आवेदित वनक्षेत्र के अलावा अन्य गैर वनक्षेत्र विकल्प के रूप, में प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध नहीं हैं।
12.	आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है या नहीं ? यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण दें।	आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।

प्रमाण - प्रत्र

उपरोक्त जानकारी/विवरण मेरे द्वारा किये गये भौतिक निरीक्षण के आधार पर है। आवेदक द्वारा मांग की गई वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुशंसा की जाती है।

निरीक्षण स्थल: उदंती-सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद छत्तीसगढ़ .
दिनांक : 29/03/2022


वरुण जैन (भा.व.से.)
उपनिदेशक
 उदंती-सीतानदी टायगर रिजर्व,
 गरियाबंद (छत्तीसगढ़).